

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 06/2015-16

एवं

रे0मि0 रिविजन वाद सं0 04/2015-16

सुचान ठाकुर एवं अन्य अपीलकर्ता
बनाम्
शरत चन्द्र मंडल एवं अन्य उत्तरकारी
एवं
कृष्ण चन्द्र मंडल एवं अन्य आवेदक
बनाम्
शरत चन्द्र मंडल एवं अन्य विपक्षी

॥ आदेश ॥

29/04/2016


यह रे0मि0 अपील वाद सं0 06/2015-16 सुचान ठाकुर एवं अन्य बनाम् शरत चन्द्र मंडल एवं अन्य तथा रे0मि0 अपील वाद सं0 04/2015-16 कृष्ण चन्द्र मंडल बनाम् शरत चन्द्र मंडल एवं अन्य, मौजा दहीचुआँ, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0डी0 वाद सं0 40/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 के विरुद्ध दायर किया गया है।


मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पी0डी0 वाद सं0 40/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2016 को अनुमोदन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस आदेश के विरुद्ध में दायर अपील/रिविजन वाद में किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पी0डी0 वाद सं0 40/2004-05 दिनांक 05.01.2016 में पारित आदेश इस वाद में भी लागू होगा।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।


उपायुक्त,
दुमका।


उपायुक्त,
दुमका।

Note